

## प्रेस नोट

### थाना निगोही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 72/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना निगोही में वांछित अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र सुखदयाल मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व श्री अमित कुमार चौरसिया क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना निगोही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 72/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना निगोही में वांछित अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र सुखदयाल मौर्या निवासी ग्राम खरगापुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत (उम्र करीब 25 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर सार्थक प्रयास कर आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र सुखदयाल मौर्या निवासी ग्राम खरगापुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत (उम्र करीब 25 वर्ष) को कैमुआ पुल के पास खुदागंज मोड़ पर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी, जिसे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार शाहजहाँपुर भेजा गया।

### गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

कृष्णपाल पुत्र सुखदयाल मौर्या निवासी ग्राम खरगापुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 72/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह थाना निगोही शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री आजाद यादव थाना निगोही शाहजहाँपुर
3. का0 973 हरपाल सिंह थाना निगोही शाहजहाँपुर